(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 16 मई, 2017

सा0का0नि0 (अ)- अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित “एल्यूमीनियम फोइल” (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7607 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 10 मार्च, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/06/2015-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई

प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में कॉलम (10) सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्रसं	**टैरिफ मद का उप शीर्षक**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूल देश**	**निर्यातक देश**	**उत्पादक**	**निर्यातक**	**राशि**	**मुद्रा**	**इकाई**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स झेजियांग झोंग्जिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री कं. लि.	मैसर्स झेजियांग झोंग्जिन एल्युमीनियम इंडस्ट्री का. लि.	1.43	अम.डॉ.	कि.ग्रा
2.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स किंग्डाओ लोफ्टन एल्युमीनियम फॉइल कं. लि.	मैसर्स लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड	1.18	अम.डॉ.	कि.ग्रा
3.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स लोफ्टन एन्वायरनमैंटल टैक्नोलाजी कं. लि.	मैसर्स लोफ्टन एल्युमीनियम (हांगकांग) लिमिटेड	1.18	अम.डॉ.	कि.ग्रा
4.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
5.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	मैसर्स हांग्झोउ एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा

क्रसं	टैरिफ मद का उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
6.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ फाइव स्टार एल्युमीनियम कं.लिमिटेड	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
7.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
8.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
9.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
10.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
11.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	डिंग्शेंग एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज (हांग कांग) ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा

क्रसं	टैरिफ मद का उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	इकाई
12.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स हांग्झोउ डिंग्शेंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	मैसर्स जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल ज्वांइट-स्टाक क. लि.	0.69	अम.डॉ.	कि.ग्रा
13.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	चीन जन गण	क्रम संख्या 1 से 12 तक कोई अन्य संयोजन		1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा
14.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	चीन जन गण	कोई	कोई	कोई	1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा
15.	7607	एल्युमीनियम फॉइल	कोई	चीन जन गण	कोई	कोई	1.63	अम.डॉ.	कि.ग्रा

नोट:

"एल्युमीनियम फॉइल" इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "एल्युमीनियम फॉइल चाहे प्रिंटेड नहीं हो अथवा बैक्ड विद पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक अथवा 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन के बीच की थिकनेस की इसी प्रकार की पैकिंग सामग्री, से अभिप्रेत है" ।

विषय वस्तुओं के विवरण में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

i. एलु एलु लेमिनेट: पैकिंग कैप्सूल/टेबलेट में प्रयोग के लिए एए8079 और एए8021 में 40-50 माइक्रोन का एलु एलु लेमिनेट एक मल्टीलेयर्ड ओपेक्यू लेमिनेट है जहां एल्युमीनियम फॉइल और एडहेसिव्स से दोनों तरफ प्लास्टिक फिल्म बैक्ड है।

ii. अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेड : अल्ट्रा लाइट गॉज कंवर्टेड 5.5 माइक्रोन से 7 माइक्रोन की थिकनेस वाला एल्युमीनियम फॉइल है जो बैक्ड विद क्राफ्ट पेपर तथा स्क्रिम, अथवा ग्लास क्लोथ है, चाहे वह इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग तथा टी-बैग अनुप्रयोग में उपयोग करने हेतु प्लेन अथवा प्रिंटेड हो।

iii. एल्युमीनियम फॉइल कम्पोजिट: एल्युमीनियम फॉइल लेमिनेटेड पॉली एथिलीन से युक्त अथवा के बिना क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम अथवा ग्लास क्लोथ युक्त लेमिनेटेड अथवा बैक्ड एल्युमीनियम फॉइल, चाहे वह प्रिंटेड हो अथवा प्रिंटेड नहीं हो। तथापि, एल्युमीनियम फॉइल लेमिनेटेड क्राफ्ट पेपर से युक्त अथवा क्राफ्ट पेपर से बैक्ड संबद्ध उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के कार्यक्षेत्र में आता है।

iv. कैपिसटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉइल: कैपिसटर्स के लिए एल्युमीनियम फॉइल रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्नेट्स, इलैक्ट्रोनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट,

कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइलस, फ्लोरोसेंट लाइट, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्प, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इलैक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल यूनिट तथा समान वस्तु जैसे इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट में प्रयोग के लिए 99.35% शुद्धता वाले कम चौड़ाई में 5 माइक्रोन गेज का एल्युमीनियम फॉइल है।

v. ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फॉइल्स : ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फॉइल्स इलैक्ट्रिक कैपीसिटर के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने हेतु एल्युमीनियम फॉइल है।

vi. एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल फेकेड क्लेडिंग और सिगनेज में प्रयोग के लिए एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच एक नॉन-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) बांडेड है।

vii. क्लेड विद कम्पीटेबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉइल: क्लेड विद कम्पीटेबल नॉन क्लेड एल्युमीनियम फॉइल रेडिएटर, कंडेंसर, एवापोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर सिस्टम्स में प्रयोग करने के लिए एल्युमीनियम सरफेस लेयर्स मेटालर्जिकली बांडेड टू हाई स्ट्रेंथ एल्युमीनियम एलॉय कोर सामग्री से बनी एक जंगरोधी एल्युमीनियम शीट है।

viii. बीयर बोतल के लिए एल्युमीनियम फॉइल: बीयर बोतल में प्रयोग किए जाने हेतु रफ सरफेस और परफोरेटड, चाहे वह प्रिंटेड हो अथवा नहीं, वाली 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फॉइल है।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/200/2016-टीआरयू)]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार